

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारी:-राजलक्ष्मी गहलोट

मुकदमा नम्बर:- 66/2017(2017/00186) वाद पत्र

उनवान

1-बालु आत्मज लहरू बलाई निवासी डांगडी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1-गोपी आत्मज मांगु बलाई निवासी डांगडी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2-मु० प्रेमी बेवा मांगु बलाई निवासी डांगडी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3-बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक

4-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राज० टी० एक्ट

1-हरिश टेलर -

अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 02.06.18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प झडोल मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम डांगडी पटवार हल्का झडोल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजियात संख्या 93 रकबा 0.43 है०, 202 रकबा 0.33 है०, 443 रकबा 0.14 है०, 854 रकबा 0.07 है०, 855 रकबा 0.23 है०, 858 रकबा 0.26 है० कुल किता 6 कुल रकबा 1.46 है० भूमि राजस्व खाता संख्या 43 का बाई मिट्स एण्ड बोण्ड के आधार पर वादी का 2/3 हिस्से का स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोले जाने तथा रहन का इन्द्राज यथावत रखने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने एवं तहसीलदार रायपुर को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था जिसकी पालना में दिनांक 02.06.2018 को तहसीलदार रायपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबंदी से मिलान किया गया जो सही प्रतीत होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

ग्राम डांगडी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बैरून हल्का आबादी में स्थित खाता संख्या 42 वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते की भूमि के विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है-


क्र. स	कृषको का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (है०)
01	बालु पि लहरू बलाई सा० देह खातेदार रहन बी आर जी बी शाखा मोखुन्दा	93/3 202/2 443/1	0.25 0.22 0.09

02 गोपी पि0 मांगु प्रेमी बेवा मांगु बलाई सा0 देह खातेदार

	854	0.07
	855	0.23
	858 / 1	0.07
योग	6	0.93
	93 / 1	0.13
	202 / 1	0.11
	443 / 2	0.05
	858 / 2	0.18
किता	4	0.47
सामलाती खाता बदस्तुर	93 / 2	0.04
		(गो0मु रास्ता)
किता	1	0.04

अंतिम डिकी अनुसार भूमि दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिकी जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

यह आज तारीख 02.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।


राजलक्ष्मी गहलोट
सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाडा

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर जिला भीलवाडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी:-राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

उनवान

1-बालु आत्मज लहरू बलाई निवासी डांगडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादी

बनाम

1-गोपी आत्मज मांगु बलाई निवासी डांगडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

2-मु0 प्रेमी बेवा मांगु बलाई निवासी डांगडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

3-बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा जरिये शाखा
प्रबन्धक

4-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर:- 66/2017(2017/00186) वाद पत्र

निर्णय दिनांक:- 02.06.2018

वाद में आज तारीख 02.06.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 की राजस्व लोक
अदालत/कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत झडोल के समक्ष अंतिम निपटारो के
लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

ग्राम डांगडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा के बैरून हल्का आबादी में स्थित खाता
संख्या 42 वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते की भूमि के विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार
दी जाती है-

क्र. कृषको का नाम

स

01 बालु पि लहरू बलाई सा0 देह खातेदार रहन बी आर जी बी
शाखा मोखुन्दा

खसरा
नम्बर

क्षेत्रफल
(है0)

93/3

0.25

202/2

0.22

443/1

0.09

854

0.07

855

0.23

858/1

0.07

योग

6

0.93

52 गोपी पि० मांगु प्रेमी बेवा मांगु बलाई सा० देह खातेदार

	93 / 1	0.13
	202 / 1	0.11
	443 / 2	0.05
	858 / 2	0.18
	किता 4	0.47
सामलाती खाता बदस्तुर	93 / 2	0.04
	किता 1	0.04

अंतिम डिक्री आज तारीख 15.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
रायपुर